# न्यायालय सिविल जज/जे0एम0, प्रथम श्रेणी, खटीमा, जिला– ऊधम सिंह नगर।

**फौजदारी वाद संख्या : 1425/2022**

**मुकदमा एफ0आई0आर0 नम्बर : 203/2022**

**उत्तराखण्ड राज्य बनाम आकाश**

धाराः 60(1) उ0प्र0 आबकारी अधिनियम,1910।

थानाः नानकमत्ता, जिला–ऊधमसिंहनगर।

**दिनांकः 22.06.2023**

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त आकाश मय विद्वान अधिवक्ता श्री के0एन0 नरियाल उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जुर्म इकबाल प्रार्थना–पत्र के आधार पर उसके बयान दर्ज किए गये, जिसमें उसने स्वेच्छया से अपना जुर्म इकबाल किया। अभियुक्त द्वारा किए गये जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्त को धारा 60(1) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 में दोषसिद्ध किया जाता है।

**दिनांक–22.06.2023**

( अमित भट्ट )
सिविल जज/जे0एम0, प्रथम श्रेणी, खटीमा,
जिला– ऊधम सिंह नगर।

**02.** अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया कि वह गरीब व्यक्ति है, उसे कम–से–कम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियुक्त द्वारा किए गये अभिवाक् एवं मामले के तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न दण्डादेश पारित किया जा रहा है।

## आदेश

**03.** अभियुक्त आकाश को धारा 60(1) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड संशोधन 2002) में दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं मुवलिग 5,000/–(पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 07 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। बरामद माल अपील अवधि की समाप्ति पर नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

**दिनांक–22.06.2023**

( अमित भट्ट )
सिविल जज/जे0एम0, प्रथम श्रेणी, खटीमा,
जिला– ऊधम सिंह नगर।

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर, उद्घोषित किया गया।

**दिनांक–22.06.2023**

( अमित भट्ट )
सिविल जज/जे0एम0, प्रथम श्रेणी, खटीमा,
जिला– ऊधम सिंह नगर।